



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा
जिला :- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद "नैक" बेंगलूर द्वारा (तृतीय चक्र-2022) मूल्यांकित "बी" ग्रेड संस्था
ई-मेल : gpgc_cph@yahoo.com वेबसाइट - www.gmmreg.in

क्रमांक 562 / अतिथि व्या. / 2024
प्रति,

चाम्पा, दिनांक 22-08-2024

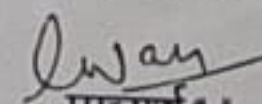
श्री कमला-कान्त प्रधान,
आ० श्री बाबू लाल
ग्रा. बारडोली, तह. सरायपाली,
जिला - महासमुन्द (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2024-25 में महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण।
—00—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में महाविद्यालय में अंग्रेजी विषय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरुद्ध के रिक्त पद के विरुद्ध सत्र 2024-25 के लिए अध्यापन व्यवस्था हेतु आपको निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है :-

1. आमंत्रण पत्र जारी दिनांक से 05 दिवस के भीतर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा अन्यथा आमंत्रण पत्र स्वयमव निरस्त माना जावेगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जावेंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जावेंगे।
3. आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
4. किसी अन्य शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
5. अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालय में कार्य नहीं करेंगे।
इस आशय के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आपको व्याख्यान हेतु अनुमति दी जायेगी।
6. अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्य हेतु 60 मिनट का एक व्याख्यान होगा। प्रति व्याख्यान मानदेय रुपये 500.00 (रु. पांच सौ मात्र) देय होगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड ले सकेंगे। प्रतिदिन अधिकतम 2000.00 (दो हजार मात्र) तथा प्रतिमाह अधिकतम रु. 50000.00 (पचास हजार मात्र) भुगतान किया जावेगा।
7. अतिथि व्याख्याताओं का अंतिम कार्य दिवस शासन के निर्देशानुसार निर्धारित किया जावेगा।
8. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैद्धान्तिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जावेगा।
9. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित सभी निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस व्यवस्था के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।
11. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के संबंध में पारित अद्यतन आदेश का पारिपालन अनिवार्य होगा।

टीप :- महाविद्यालय के अध्यापन कार्य करने पर ही पारिश्रमिक का भुगतान देय होगा।


प्राचार्य,
शास. एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
CHAMPARAN